कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या – 588/2022 निर्णय दिनांक :–29.04.2024

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

लादू पुत्र बैजनाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोक राज० –अप्रार्थी–

उपस्थितः–

श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देंवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 1214 ख. नं. 1174 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 2541 रकबा 0.21 है0, ख. नं. 2921 रकबा 0.61 है0, ख. नं. 3131 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 4229 रकबा 0.95 है0, ख. नं. 4231 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 4252 रकबा 0.51 है0 कुल किता–7, कुल रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टॉक राज0 में स्थित है। प्रार्थी ने पूर्व मे उक्त भूमि की नाप चोप करवायी थी जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अडोस पडोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी की उक्त आराजी भूमि बाबत उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगडी नही करवायी गयी तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढेगी। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नही है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नही है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क जमा कराने को तैयार है। आराजी भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 1214 ख. नं. 1174 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 2541 रकबा 0.21 है0, ख. नं. 2921 रकबा 0.61 है0, ख. नं. 3131 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 4229 रकबा 0.95 है0, ख. नं. 4231 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 4252 रकबा 0.51 है0 कुल किता–7. कुल रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील

देवली जिला टोंक राज0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः—उक्त सभी आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज है। अन्य खातेदार का कब्जा नहीं है। आवेदक समस्त के नाम खातेदारी दर्ज है। किसी भी पक्षकार का विरासत का नामान्तकरण शेष नहीं है। आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार बनाय जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। पूर्व में सीमाज्ञान नही कराया गया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा. पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट/जवाब अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073—76 भूमि खाता संख्या ग्राम नासिरदा के खाता संख्या 1214 ख. नं. 1174 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 2541 रकबा 0.21 है0, ख. नं. 2921 रकबा 0.61 है0, ख. नं. 3131 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 4229 रकबा 0.95 है0, ख. नं. 4231 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 4252 रकबा 0.51 है0 कुल किता—7, कुल रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि होने से पत्थरगढी करवाने का हकदार है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर, प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारो की उपस्थिति में जमाबन्दी सम्वत 2073—76 भूमि खाता संख्या ग्राम नासिरदा के खाता संख्या 1214 ख. नं. 1174 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 2541 रकबा 0.21 है0, ख. नं. 2921 रकबा 0.61 है0, ख. नं. 3131 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 4229 रकबा 0.95 है0, ख. नं. 4231 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 4252 रकबा 0.51 है0 कुल किता—7, कुल रकबा 2.55 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली की विधिवत् पत्थरगढी, प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली